रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 101] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 15, 2019/माघ 24, 1940
No. 101] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 15, 2019/MAGHA 24, 1940

भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद के अधिक्रमण में शासी बोर्ड

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 मार्च, 2019

सं.भा.आ.प.-18(1)/2018-मेड./187262.—भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् (अधिनियम, 1956(1956 का 102) की धारा 33 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् के अधिक्रमण में शासी बोर्ड, "स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा विनियमावली, 2000" में पुन: संशोधन करने के लिए केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति से एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, नामत:-

1. (i) ये विनियम, "स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा (संशोधन) विनियमावली, 2019" कहे जाएंगे।
(ii) ये सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. "स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा विनियमावली,2000" के "स्नातकोत्तर छात्रों का चयन" शीर्षक के अंतर्गत खंड 9 (5) को निम्नलिखित रूप में प्रतिस्थापित किया जाएगा :-

परंतु यह भी कि सरकारी या सरकारी सहायता प्राप्त उच्च शैक्षिक संस्थानों में वार्षिक स्वीकृत प्रवेश क्षमता की 5% सीटें, स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए 'राष्ट्रीय पात्रता व प्रवेश परीक्षा' की मेरिट सूची के आधार पर, विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार बैंचमार्क विकलांगताओं वाले अभ्यर्थियों द्वारा भरी जाएंगी। इस उद्देश्य के लिए, विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 की अनुसूची में दी गई"विनिर्दिष्ट विकलांगता" परिशिष्ट 'III' में संलग्न की गई है और विनिर्दिष्ट विकलांगता के साथ, चिकित्सा पद्धति में पाठ्यक्रम में पढ़ने वाले अभ्यर्थियों की पात्रता, परिशिष्ट 'IV' के अनुसार होगी। यदि किसी श्रेणी विशेष में, विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित सीटें,अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता के कारण खाली रह जाती हैं तो ये सीटें, संबंधित श्रेणी के लिए वार्षिक स्वीकृत सीटों में शामिल की जानी चाहिए।

किसी शैक्षिक वर्ष के लिए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में दाखिले का पात्र बनने की दृष्टि से किसी अभ्यर्थी के लिए यह आवश्यक होगा कि वह उस शैक्षिक वर्ष के लिए आयोजित "स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए राष्ट्रीय पात्रता व प्रवेश परीक्षा" में 50 वें पर्सेंटाइल पर न्यूनतम अंक प्राप्त करें। तथापि, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित अभ्यर्थियों के संबंध में न्यूनतम अंक 40वें पर्सेंटाइल पर होंगे। विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम,2016 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट बैंचमार्क विकलांगताओं वाले अभ्यर्थियों के संबंध में न्यूनतम अंक, सामान्य श्रेणी के लिए 45वें पर्सेंटाइल पर और अ.जा./ अ.ज.जा./ अ.पि.व. के लिए 40वें पर्सेंटाइल पर होंगे।

डॉ- आर.के. वत्स, महासचिव

[विज्ञापन -III/4/असाधारण/579/18]

पाद टिप्पणी : प्रधान विनियमावली नामत:"स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा विनियमावली, 2000" दिनांक 7 अक्तूबर, 2000 को भारत के राजपत्र के भाग III, खंड 4 में प्रकाशित की गई थी और इसे भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् की दिनांक 03/03/2001,06/10/2001, 16/03/2005, 23/03/2006,20/10/2008, 25/03/2009, 21/07/2009, 17/11/2009, 09/12/2009,16/04/2010, 08/12/2010, 27/12/2010 09/02/2012,27/02/2012, 28/03/2012, 17/04/2013, 01/02/2016, 17/06/2016, 08/08/2016, 31/01/2017, 11/03/2017, 06/05/2017, 27/06/2017 31/07/2017, 20/02/2018, 05/04/2018, और 23/01/2019 की अधिसूचनाओं के अंतर्गत संशोधित किया गया था ।

परिशिष्ट - III

(विनियम 9 (5) देखें)

"विनिर्दिष्ट विकलांगता" धारा 2 के खंड (ष ग) के संबंध में अनुसूची संलग्न की जाती है, जिसमें निम्नलिखित उल्लेख किया गया हैं :

1. शारीरिक विकलांगता

क. गतिक विकलांगता (मस्कुलोस्केल्टल या तंत्रीय प्रणाली या दोनों की वेदना के परिणामस्वरूप स्वयं और वस्तुओं को लाने ले जाने से जुड़े प्रभेदी क्रियाकलाप करने में किसी व्यक्ति की असमर्थता), जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:-

1 (क) "कुष्ठ रोग मुक्त व्यक्ति" से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो कुष्ठ रोग से मुक्त हो गया है, परंतु निम्नलिखित से पीडित है-

(i) हाथों और पैरों में संवेदन की कमी और आंख तथा पलक में संवेदन की कमी या आंशिकघात परंतु किसी अभिव्यक्त विरूपता के बिना;

(ii) अभिव्यक्त विरूपता और आंशिकघात परंतु उन्हें सामान्य आर्थिक क्रियाकलाप में लगने में समर्थ बनाने के लिए उनके हाथों और पैरों में पर्याप्त गतिकता वाले व्यक्ति;

(iii) अत्यधिक शारीरिक विरूपता और अधिक आयु जो उसे कोई लाभप्रद व्यवसाय आरंभ करने से रोकती हो, और "कुष्ठ रोग मुक्त" अभिव्यक्ति का अर्थ तदनुसार लगाया जाएगा;

ख. "प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात" से अभिप्रेत है - आमतौर पर जन्म से पहले, के दौरान, या जन्म के शीघ्र पश्चात होने वाली, मस्तिष्क के एक या अधिक विनिर्दिष्ट क्षेत्र को पहुंची क्षति के कारण शरीर के संचलन और मांसपेशियों के समन्वय को प्रभावित करने वाली गैर-प्रभावी तंत्रिका संबंधी स्थिति का एक समूह;

ग. "बौनापन" से अभिप्रेत है- एक मेडिकल या आनुवंशिक स्थिति जिसके परिणामस्वरूप किसी वयस्क की ऊंचाई 4 फीट 10 इंच (147 सेंटीमीटर) या इससे कम हो;

घ. "मांसपेशीय डिस्ट्राफी" से अभिप्रेत है- आनुवंशिक मांसपेशी रोग का एक ऐसा समूह जो उन मांसपेशियों को कमजोर करता है, जो मानव शरीर का संचालन करती है, और बहुल डिस्ट्राफी वाले व्यक्तियों के पास उनके जीन्स में गलत और गायब सूचना होती है जो उन्हें ऐसे प्रोटीन्स बनाने से रोकती है, जिनकी स्वस्थ मांसपेशियों के लिए आवश्यकता होती है। इसके लक्षण हैं- प्रगामी स्कैल्टन मांसपेशी की कमजोरी, मांसपेशी प्रोटीन्स में दोष और मांसपेशियों के कोशाणुओं तथा ऊतकों की मृत्यु।

ङ. "तेजाब प्रहार पीडित" से अभिप्रेत है- तेजाब या इसी प्रकार के संक्षारक पदार्थ फेंके जाने से हिंसक प्रहार के कारण कोई विरूपित व्यक्ति।

ख. चाक्षुष क्षति-

(क) "नेत्रहीनता" से अभिप्रेत है- एक ऐसी स्थिति, जहां किसी व्यक्ति में सर्वोत्तम सुधार के पश्चात भी निम्नलिखित में से कोई स्थिति हो :

(i) दृष्टि का पूर्ण अभाव; या

(ii) सर्वोत्तम संभव सुधार के साथ बेहतर आंख में 3/6 से कम या 10/200 से कम (स्नेलन) चाक्षुष तीक्षणता हो; या

(iii) दृष्टि के क्षेत्र की वह सीमा, जो 10 डिग्री से कम का कोण कक्षांतरित करती हो।

(ख) "निम्न दृष्टि" से एक ऐसी स्थिति अभिप्रेत है, जहां किसी व्यक्ति में निम्नलिखित में से कोई स्थिति हो, नामत:

(i) सर्वोत्तम संभव सुधारके साथ बेहतर आंख में अधिक से अधिक चाक्षुष तीक्ष्णता 6/18 या 20/60 से कम, 3/60 तक या 10/200 (स्नेलन) हो; या

(ii) दृष्टि के क्षेत्र की वह सीमा, जो 40 डिग्री से कम 10 डिग्री तक का कोण कक्षांतरित करती हो।

(ग) श्रवण क्षति-

(क) "बधिर" से ऐसे व्यक्ति अभिप्रेत है, जिन्हें दोनों कानों में वाक् फ्रीक्वेंसीज में 70 डीबी श्रवण क्षति हो;

(ख) "कम सुनने वाला" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसे दोनों कानों में वाक् फ्रीक्वेंसीज में 60 डीबी से 70 डीबी की श्रवण क्षति हो।

(घ) "वाक् और भाषा विकलांगता" से अभिप्रेत है- आंगिक या तंत्रिका संबंधी कारणों से वाक् और भाषा के एक से अधिक संघटकों को प्रभावित करने वाली स्वरयंत्र उच्छेदन या वाचाघात जैसी स्थितियों से उत्पन्न एक स्थायी विकलांगता।

2. बौद्धिक विकलांगता एक ऐसी स्थिति है, जिसके लक्षण हैं- बौद्धिक कार्यचालन (तर्कणा, ज्ञानार्जन, समस्या समाधान) और अनुकूली व्यवहार दोनों में महत्वपूर्ण सीमा, जो दिन प्रति दिन के सामाजिक और व्यावहारिक कौशलों की एक रेंज कवर करती है, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं :

(क) "विनिर्दिष्ट ज्ञानार्जन विकलांगताएं" से अभिप्रेत है ऐसी स्थितियों का एक विजातीय समूह, जिसमें भाषा, बोली जाने वाली या लिखित, प्रोसेसिंग में कोई ऐसी कमी है, जो समझने, बोलने, पढ़ने, लिखने, हिज्जे करने या गणितीय परिकलन करने में एक कठिनाई के रूप में स्वयं को अभिव्यक्त कर सकती है और इसमें बोधात्मक विकलांगताएं, डिस्लेक्सिया, डिस्गा्राफिया, डिस्कलकूलिया, डिस्प्राक्सिया और विकासात्मक वाचाघात जैसी स्थितियां शामिल हैं;

(ख) "आत्म विमोह स्पेक्ट्रम विकृति" से अभिप्रेत है- जीवन के पहले तीन वर्षों में अलग प्रकार से प्रकट होने वाली एक तंत्रिका- विकासात्मक स्थिति जो व्यक्ति की संसूचित करने, रिश्ते समझने और अन्य के साथ जोड़ने की योग्यता को पर्याप्त रूप से प्रभावित करती है और असामान्य या अपरिवर्तनीय धार्मिक कृत्यों या व्यवहारों के साथ बार-बार संबद्ध है।

3. मानसिक व्यवहार- "मानसिक रोग" से अभिप्रेत है- विचारण, मनोदशा, अवबोधन, अभिमुखीकरण या स्मरण शक्ति, जो जीवन की सामान्य मांगे पूरी करने की योग्यता या वास्तविकता को स्वीकार करने की योग्यता, व्यवहार, निर्णय को भारी मात्रा में क्षति पहुंचाती है परंतु इसमें ऐसी मंदता शामिल नहीं है जो किसी व्यक्ति के मस्तिष्क के अवरोध या अपूर्ण विकास की एक स्थिति है, जिसका विशेष लक्षण, बुद्धि की उप-असामान्यता है।

4. निम्नलिखित के कारण विकलांगता-

(क) चिरकालिक तंत्रिका संबंधी स्थितियां, जैसे-

(i) "बहुल ऊतक दृढ़न" से अभिप्रेत है- एक प्रदाहक, तंत्रिका प्रणाली रोग, जिसमें मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी की तंत्रिका कोशिकाओं के अक्षतंतुओं के आस-पास की मेरूमज्जा आच्छादन क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, जिसके परिणामस्वरूप डिमाइलोएशन हो जाता है और एक दूसरे के साथ संचारित करने के लिए मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी में तंत्रिका कोशिकाओं की क्षमता प्रभावित हो जाती है;

(ii) "पार्किन्सन रोग" से अभिप्रेत है- मस्तिष्क के आधारीय गंगलिया के विकार और तंत्रिका संचारी डोपामाइन की किसी कमी के साथ जुड़ी, मुख्यत: मध्य आयु वाले और बुजुर्गों को प्रभावित करने वाली, ट्यूमर, मांसपेशी की दृढ़ता और धीमी, अस्पष्ट गति के लक्षणों वाली तंत्रीय प्रणाली का एक प्रगामी रोग।

(ख) रक्त विकृति-

(i) "अधिरक्तस्राव" से अभिप्रेत है- एक वंशानुगत रोग, जो आमतौर पर केवल पुरूषों को प्रभावित करता है परंतु महिलाओं द्वारा अपने पुरूष बच्चों में संचारित किया जाता है जिनके लक्षण हैं- रक्त की सामान्य जमाव क्षमता की क्षति या हानि, जिससे किसी अवयस्क को घातक रक्तस्राव हो सकता है;

(ii) "थालासीमिया" से अभिप्रेत है- वंशानुगत विकृतियों का एक ऐसा समूह, जिसके लक्षण है- हिमोग्लोबिन की घटी हुई मात्रा या उसका अभाव।

(iii) "सिकल सैल रोग" से अभिप्रेत है- चिरकालिक रक्ताल्पता, कष्टदायक परिणामों और संलग्न ऊतक तथा अंग क्षति के कारण विभिन्न जटिलताओं के लक्षण वाली एक हेमोलाइटिक विकृति; "हेमोलाइटिक" लाल रक्त की कोशिका झिल्ली के नष्टीकरण से संबंधित है, जिसके परिणामस्वरूप हेमोग्लोबिन निकलता है।

5. बधिर, नेत्रहीनता सहित बहुल विकलांगताएं (ऊपर विनिर्दिष्ट विकलांगताओं में से एक से अधिक) जिससे एक ऐसी स्थिति अभिप्रेत है, जिसमें किसी व्यक्ति को श्रवण और चाक्षुष क्षति का संयोजन हो सकता है, जिसके कारण गंभीर संसूचन, विकासात्मक और शैक्षिक समस्याएं हो सकती हैं ।

6. कोई अन्य श्रेणी, जो केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए ।

टिप्पणी: विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 की अनुसूची में किए जाने वाले किसी संशोधन के परिणामस्वरूप उपर्युक्त अनुसूची में संशोधन हो जाएगा ।

परिशिष्ट - "IV"

आधुनिक चिकित्सा पद्धति में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में दाखिले के संबंध में 'विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016' के अंतर्गत "विशिष्ट विकलांगताओं"वाले छात्रों के दाखिले से संबंधित दिशानिर्देश

टिप्पणी:

1. "विकलांगता का प्रमाणपत्र", 15 जून, 2017 को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, [विकलांग व्यक्ति (दिव्यांगजन) सशक्तीकरण विभाग] द्वारा भारत के राजपत्र में अधिसूचित विकलांग व्यक्तियों के अधिकार नियमावली, 2017 के अनुसार जारी किया जाएगा।
2. किसी व्यक्ति में "विशिष्ट विकलांगता" की सीमा, 5 जनवरी, 2018 को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, [विकलांग व्यक्ति (दिव्यांगजन)सशक्तीकरण विभाग] द्वारा भारत के राजपत्र में अधिसूचित "विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49) के अंतर्गत शामिल किए गए किसी व्यक्ति में विशिष्ट विकलांगता की सीमा आंकने के उद्देश्य के लिए दिशानिर्देश" के अनुसार आंकी जाएगी।
3. विशिष्ट विकलांगता वाले व्यक्तियों के लिए आरक्षण का लाभ प्राप्त करने की दृष्टि से विकलांगता की न्यूनतम डिग्री 40%(बैंचमार्क विकलांगता) होनी चाहिए।
4. "शारीरिक रूप से विकलांग" (शा.वि.) शब्द के बजाए 'विकलांग व्यक्ति' (वि.व्य.) शब्द का इस्तेमाल किए जाएगा।

क्र.सं.	विकलांगता प्रकार	विकलांगताओं का प्रकार	विनिर्दिष्ट विकलांगता	विकलांगता की रेंज		
				मेडिकल पाठ्यक्रम के लिए पात्र, विकलांग व्यक्ति कोटा के लिए पात्र नहीं	मेडिकल पाठ्यक्रम के लिए पात्र, विकलांग व्यक्ति कोटा के लिए पात्र	मेडिकल पाठ्यक्रम के लिए पात्र नहीं
1.	शारीरिक विकलांगता	क. विनिर्दिष्ट विकलांगताओं सहित गतिक विकलांगता (क से च)	क. कुष्ठ रोग से मुक्त व्यक्ति*	40% से कम विकलांगता	40-80%विकलांगता : 80% से अधिक विकलांगता वाले व्यक्तियों को भी मामला दर मामला आधार पर अनुमति दी जा सकती है और उनकी कार्यात्मक सक्षमता, सहायक उपकरणों, यदि इनका इस्तेमाल किया जा रहा है, की सहायता से, यह देखने के लिए, निर्धारित की जाएगी कि क्या इसे 80% से नीचे लाया गया	80% से अधिक विकलांगता
			ख. प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात**			
			ग. बौनापन			
			घ. मांसपेशीय डिस्ट्राफी			
			ङ. तेजाब के प्रहार से पीडित			
			च. अन्य***जैसे अंगविच्छेदन, पोलियोम्येलाइटिस आदि			

					है और क्या उनके पास ऐसी पर्याप्त चालक योग्यता है, जो यह पाठयक्रम जारी रखने और संतोषजनक ढंग से पूरा करने के लिए आवश्यक है।	
			* ऊंगलियों, हाथों में संवेदन की क्षति, अंगविच्छेद और आंखों की अंतर्ग्रस्तता पर ध्यान दिया जाना चाहिए तथा तदनुरूपी अनुशंसाएं देखी जानी चाहिए। **दृष्टि, श्रवण की संज्ञानात्मक कार्य की क्षति पर ध्यान दिया जाना चाहिए और तद्नुरूपी अनुशंसाएं देखी जानी चाहिए। ***चिकित्सा पाठ्यक्रम के लिए पात्र माने जाने के लिए दोनों हाथों का, अक्षुण्ण संवेदनाओं, पर्याप्त शक्ति और गति के रेंज के साथ अक्षुण्ण होना आवश्यक है।			
		ख. दृष्टि क्षति (*)	क. नेत्रहीनता ख. निम्न दृष्टि	40% से कम विकलांगता	-	40% के बराबर या इससे अधिक विकलांगता
		ग. श्रवण क्षति@	क. बहरा ख. कम सुनाई देना	40% से कम विकलांगता	-	40% के बराबर या इससे कम विकलांगता
			(*) 40% से अधिक की दृष्टि क्षति/ दृष्टि विकलांगता वाले व्यक्तियों को स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा में पढ़ने के लिए पात्र बनाया जा सकता है और इस शर्त के अधीन आरक्षण दिया जा सकता है कि दृष्टि विकलांगता को आधुनिक निम्न दृष्टि सहायक उपकरण जैसेकि टेलीस्कोप/ मैग्नीफायर इत्यादि की सहायता से 40% के बैंचमार्क से कम के स्तर तक लाया जाए। @ 40% से अधिक की श्रवण विकलांगता वाले व्यक्तियों को स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा में पढ़ने के लिए पात्र बनाया जा सकता है और इस शर्त के अधीन आरक्षण दिया जा सकता है कि श्रवण विकलांगता को सहायक उपकरणों की सहायता से 40% के बैंचमार्क से कम के स्तर तक लाया जाए। इसके अलावा, व्यक्ति के पास 60%से अधिक का वाक् विवेक स्कोर होना चाहिए।			
		घ.वाक् एवं भाषा विकलांगताएं$	आर्गनिक/तंत्रीय कारण	40% से कम विकलांगता	-	40% के बराबर या इससे कम विकलांगता
		$ वाक् बुद्धिमता प्रभावित (एसआईए) वाले व्यक्ति स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में पढ़ने के लिए पात्र होंगे, बशर्ते वाक् बुद्धिमता प्रभावित (एसआईए) स्कोर 3 (तीन) से अधिक न हो, जोकि 40% या उससे कम हो । वाचाघात वाले व्यक्ति स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में पढ़ने के लिए पात्र होंगे, बशर्ते कि वाचाघात लब्धि (एक्यू) 40% या उससे कम हो ।				
2.	बौद्धिक विकलांगता		क. विशिष्ट ज्ञानार्जन विकलांगताएं (बोधात्मक	# वर्तमान में एसपीएलडी की गंभीरता आंकने के लिए कोई मात्राकरण पैमाना नहीं है, इसलिए 40% का कट ऑफ, मनमाना है और इसके लिए अधिक साक्ष्य की आवश्यकता है।		

			विकलांगताएं, डिस्लेक्सिया, डिस्केलकुलिया, डिस्प्राक्सिया और विकासात्मक एफासिया)#	40% से कम विकलांगता	40% के बराबर या इससे अधिक विकलांगता और 80% के बराबर या इससे कम विकलांगता। परंतु चयन, रिमेडिएशन सहायता प्राप्त प्रौद्योगिकी/उपकरणों/ विशेषज्ञ पैनल द्वारा किए गए अवसंरचनात्मक परिवर्तनों की सहायता से मूल्यांकन की गई ज्ञानार्जन सक्षमता पर आधारित होगा।	80% से अधिक या गंभीर स्वरूप या पर्याप्त संज्ञानात्मक/ बौद्धिक विकलांगता
			ख. आत्म-विमोह स्पैकट्रम विकृति	विकलांगता का अभाव या मामूली विकलांगता अस्परजर सिंड्रोम (आईएसएए के अनुसार 40%-60% तक की विकलांगता) जहां व्यक्ति को किसी विशेषज्ञ पैनल द्वारा स्नातकोत्तर के लिए उपयुक्त माना जाता है।	मानसिक बीमारी की मौजूदगी या सीमा स्थापित करने की उद्देश्य परक पद्धति के अभाव के कारण संस्तुत नहीं किया गया। तथापि, आरक्षण/कोटे के लाभ पर, विकलांगता आंकने की बेहतर पद्धतियां विकसित कर लिए जाने के पश्चात विचार किया जा सकता है।	60% से अधिक विकलांगता या संज्ञानात्मक/ बौद्धिक विकलांगता और/ या यदि व्यक्ति, विशेषज्ञ पैनल द्वारा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम जारी रखने के लिए अनुपयुक्त बताया गया है।
3.	मानसिक व्यवहार		मानसिक रोग	विकलांगता का अभाव या मामूली विकलांगता: 40% से कम (आईडीईएएस के अंतर्गत)	मानसिक बीमारी की मौजूदगी या सीमा स्थापित करने की उद्देश्य परक पद्धति के अभाव के कारण संस्तुत नहीं किया गया। तथापि, आरक्षण/कोटे के लाभ पर, विकलांगता आंकने की बेहतर पद्धतियां विकसित कर लिए जाने के पश्चात विचार किया जा सकता है।	40% के बराबर या इससे अधिक विकलांगता या यदि व्यक्ति को अपनी ड्यूटियां करने के लिए अनुपयुक्त माना जाता है। "मेडिसिन में प्रैक्टिस करने के लिए फिटनेस" की परिभाषा के लिए मानक तैयार किए जाए जिनका जैसे कि भारत के अलावा

						अन्य देशों के अनेक संस्थानों द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं।
4.	आगे उल्लेखित के कारण विकलांगता	क. चिरकालिक तंत्रिका संबंधी स्थितियां	i. बहुल ऊतक दृढन	40% से कम विकलांगता	40%-80% विकलांगता	80% से अधिक विकलांगता
			ii. पार्किनसोनिज्म			
		ख. रक्त विकृतियां	i. हीमोफीलिया	40% से कम विकलांगता	40%-80% विकलांगता	80% से अधिक विकलांगता
			ii. थैलिसीमिया			
			iii. सिक्कल सैल रोग			
5.	मूक बधिरता सहित बहुल विकलांगताएं		उपर्युक्त में से एक से अधिक विनिर्दिष्ट विकलांगताएं	उपर्युक्त में किसी की मौजूदगी के संबंध में अलग अलग मामलों की अनुशंसाओं में निर्णय लेते समय उपर्युक्त सभी नामत: बहुल विकलांगता के एक घटक के रूप में दृष्टि, श्रवण, वाक् और भाषा विकलांगता, बौद्धिक विकलांगता और मानसिक रोग विकलांगता पर विचार किया जाना चाहिए जब किसी व्यक्ति में एक से अधिक असमर्थकारी स्थिति मौजूद है, उत्पन्न होने वाली विकलांगता की संगणना करने के लिए, भारत सरकार द्वारा जारी की गई संबंधित राजपत्र अधिसूचना द्वारा अधिसूचित संयोजनकारी फार्मूले की अनुशंसा की जाती है: $$क + \left[ख \frac{(90-क)}{90} \right]$$ (जहां क = विकलांगता के % का उच्च मूल्य और ख = विकलांगता के % का निम्न मूल्य जो भिन्न-भिन्न विकलांगताओं के लिए परिकलित किया गया हो। इस फार्मूले का इस्तेमाल बहुल विकलांगताओं वाले मामलों में किया जाए और व्यक्ति विशेष के मामले में मौजूद विशिष्ट विकलांगताओं के अनुसार दाखिले और/या आरक्षण के संबंध में अनुशंसा की जाए।		

BOARD OF GOVERNORS IN SUPER SESSION OF MEDICAL COUNCIL OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th March, 2019

No.MCI-_18(1)/2018-Med./187262.—In exercise of the powers conferred by Section 33 of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956), the Board of Governors in Super-session of Medical Council of India with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following Regulations to further amend the "Postgraduate Medical Education Regulations, 2000", namely: -

1. (i) These Regulations may be called the "Postgraduate Medical EducationRegulations(Amendment), 2019.

   (ii) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the "Postgraduate Medical Education Regulations, 2000", under the heading of "**Selection of Postgraduate Students**" clause 9 (5) shall be substituted as under:-

   Provided further that 5% of the annual sanctioned intake capacity in Government or Government aided higher educational institutions shall be filled up by candidates with benchmark disabilities in accordance with the provisions of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016, based on the merit list of 'National Eligibility-cum-Entrance Test' for admission to Postgraduate Medical Courses. For this purpose, the "Specified Disability" contained in the

Schedule to the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 is annexed in Appendix 'III' and the eligibility of candidates to pursue a course in medicine with specified disability shall be in accordance with Appendix 'IV'. If the seats reserved for the persons with disabilities in a particular category remain unfilled on account of unavailability of candidates, the seats should be included in the annual sanctioned seats for the respective Category.

In order to be eligible for admission to Postgraduate Course for an academic year, it shall be necessary for a candidate to obtain minimum of marks at 50thpercentile in the 'National Eligibility-Cum-Entrance Test for Postgraduate courses' held for the said academic year. However, in respect of candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes, and Other Backward Classes, the minimum marks shall be at 40th percentile. In respect of candidates with benchmark disabilities specified under the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016, the minimum marks shall be at 45th percentile for General Category and 40th percentile for SC/ST/OBC**.**

DR. R.K. VATS, Secy. General

[ADVT.-III/4/Exty./579/18]

Footnote: The Principal Regulations namely, "Postgraduate Medical Education Regulations, 2000" were published in Part III, Section 4 of the Gazette of India on 7th Oct., 2000 and amended vide Medical Council of India Notification dated 03/03/2001; 06/10/2001; 16/03/2005; 23/03/2006; 20/10/2008; 25/03/2009; 21/07/2009; 17/11/2009; 09/12/2009; 16/04/2010; 08/12/2010; 27/12/2010; 09/02/2012; 27/02/2012; 28/03/2012; 17/04/2013; 01/02/2016; 17/06/2016; 08/08/2016; 31/01/2017; 11/03/2017; 06/05/2017; 27/06/2017, 31/07/2017, 20.02.2018, 05.04.2018& 23.01.2019

Appendix III

(Refer Regulation 9(5))

A SCHEDULE is annexed regarding, "SPECIFIED DISABILITY" clause (zc) of section 2, that states as under,

1. Physical disability

A. Locomotor disability (a person's inability to execute distinctive activities associated with movement of self and objects resulting from affliction of musculoskeletal or nervous system or both), including—

(a) "leprosy cured person" means a person who has been cured of leprosy but is suffering from—

(i) loss of sensation in hands or feet as well as loss of sensation and paresis in the eye and eye-lid but with no manifest deformity;

(ii) manifest deformity and paresis but having sufficient mobility in their hands and feet to enable them to engage in normal economic activity;

(iii) extreme physical deformity as well as advanced age which prevents him/her from undertaking any gainful occupation, and the expression "leprosy cured" shall construed accordingly;

(b) "cerebral palsy" means a Group of non-progressive neurological condition affecting body movements and muscle coordination, caused by damage to one or more specific areas of the brain, usually occurring before, during or shortly after birth;

(c) "dwarfism" means a medical or genetic condition resulting in an adult height of 4 feet 10 inches (147 centimeters) or less;

(d) "muscular dystrophy" means a group of hereditary genetic muscle disease that weakens the muscles that move the human body and persons with multiple dystrophy have incorrect and missing information in their genes, which prevents them from making the proteins they need for healthy muscles. It is characterized by progressive skeletal muscle weakness, defects in muscle proteins, and the death of muscle cells and tissue; (e) "acid attack victims" means a person disfigured due to violent assaults by throwing of acid or similar corrosive substance.

B. Visual impairment—

(a) "blindness" means a condition where a person has any of the following conditions, after best correction—

(i) total absence of sight; or

(ii) visual acuity less than 3/60 or less than 10/200 (Snellen) in the better eye with best possible correction; or

(iii) limitation of the field of vision subtending an angle of less than 10 degree.

(b) "low-vision" means a condition where a person has any of the following conditions, namely:—

(i) visual acuity not exceeding 6/18 or less than 20/60 upto 3/60 or upto 10/200 (Snellen) in the better eye with best possible corrections; or

(ii) limitation of the field of vision subtending an angle of less than 40 degree up to 10 degree.

C. Hearing impairment -

(a) "deaf" means persons having 70 DB hearing loss in speech frequencies in both ears;

(b) "hard of hearing" means person having 60 DB to 70 DB hearing loss in speech frequencies in both ears;

D. "speech and language disability" means a permanent disability arising out of conditions such as laryngectomy or aphasia affecting one or more components of speech and language due to organic or neurological causes.

2. Intellectual disability, a condition characterized by significant limitation both in intellectual functioning (reasoning, learning, problem solving) and in adaptive behavior which covers a range of every day, social and practical skills, including—

(a) "specific learning disabilities" means a heterogeneous group of conditions wherein there is a deficit in processing language, spoken or written, that may manifest itself as a difficulty to comprehend, speak, read, write, spell, or to do mathematical calculations and includes such conditions as perceptual disabilities, dyslexia, dysgraphia, dyscalculia, dyspraxia and developmental aphasia;

(b) "autism spectrum disorder" means a neuro-developmental condition typically appearing in the first three years of life that significantly affects a person's ability to communicate, understand relationships and relate to others, and is frequently associated with unusual or stereotypical rituals or behaviours.

3. Mental behaviour,— "mental illness" means a substantial disorder of thinking, mood, perception, orientation or memory that grossly impairs judgment, behaviour, capacity to recognize reality or ability to meet the ordinary demands of life, but does not include retardation which is a condition of arrested or incomplete development of mind of a person, specially characterized by subnormality of intelligence.

4. Disability caused due to—

(a) chronic neurological conditions, such as—

(i) "multiple sclerosis" means an inflammatory, nervous system disease in which the myelin sheaths around the axons of nerve cells of the brain and spinal cord are damaged, leading to demyelination and affecting the ability of nerve cells in the brain and spinal cord to communicate with each other;

(ii) "parkinson's disease" means a progressive disease of the nervous system marked by tremor, muscular rigidity, and slow, imprecise movement, chiefly affecting middle-aged and elderly people associated with degeneration of the basal ganglia of the brain and a deficiency of the neurotransmitter dopamine.

(b) Blood disorder—

(i) "haemophilia" means an inheritable disease, usually affecting only male but transmitted by women to their male children, characterized by loss or impairment of the normal clotting ability of blood so that a minor would may result in fatal bleeding;

(ii) "thalassemia" means a group of inherited disorders characterized by reduced or absent amounts of haemoglobin.

(iii) "sickle cell disease" means a hemolytic disorder characterized by chronic anemia, painful events, and various complications due to associated tissue and organ damage; "hemolytic" refers to the destruction of the cell membrane of red blood cells resulting in the release of hemoglobin.

5. Multiple Disabilities (more than one of the above specified disabilities) including deaf blindness which means a condition in which a person may have combination of hearing and visual impairments causing severe communication, developmental, and educational problems.

6. Any other category as may be notified by the Central Government.

Note: Any amendment to the Schedule to the RPWD Act, 2016, shall consequently stand amended in the above schedule.

Appendix "IV"

Guidelines regarding admission of students with "Specified Disabilities" under the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 with respect to admission in Postgraduate Courses in Modern Medicine

Note 1. The "Certificate of Disability" shall be issued in accordance with the Rights of Persons with Disabilities Rules, 2017 notified in the Gazette of India by the Ministry of Social Justice and Empowerment [Department of Empowerment of Persons with Disabilities (*Divyangjan*)] on 15th June 2017.

2. The extent of "specified disability" in a person shall be assessed in accordance with the "Guidelines for the purpose of assessing the extent of specified disability in a person included under the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016

(49 of 2016)" notified in the Gazette of India by the Ministry of Social Justice and Empowerment [Department of Empowerment of Persons with Disabilities (*Divyangjan*)] on 4th January 2018.

3. The minimum degree of disability should be 40% (Benchmark Disability) in order to be eligible for availing reservation for persons with specified disability.

4. The term 'Persons with Disabilities' (PwD) is to be used instead of the term 'Physically Handicapped' (PH).

<table>
<tr><th rowspan="2">S. No.</th><th rowspan="2">Disability Type</th><th rowspan="2">Type of Disabilities</th><th rowspan="2">Specified Disability</th><th colspan="4">Disability Range</th></tr>
<tr><th>Eligible for Medical Course, Not Eligible for PwD Quota</th><th>Eligible for Medical Course, Eligible for PwD Quota</th><th>Not Eligible for Medical Course</th></tr>
<tr><td rowspan="8">1.</td><td rowspan="8">Physical Disability</td><td rowspan="6">A. Locomotor Disability, including Specified Disabilities (a to f).</td><td>a. Leprosy cured person*</td><td rowspan="6">Less than 40% disability</td><td rowspan="6">40-80% disability.
Persons with more than 80% disability may also be allowed on case to case basis and their functional competency will be determined with the aid of assistive devices, if it is being used, to see if it is brought below 80% and whether they possess sufficient motor ability as required to pursue and complete the course satisfactorily.</td><td rowspan="6">More than 80%</td></tr>
<tr><td>b. Cerebral Palsy**</td></tr>
<tr><td>c. Dwarfism</td></tr>
<tr><td>d. Muscular Dystrophy</td></tr>
<tr><td>e. Acid attack victims</td></tr>
<tr><td>f. Others*** such as Amputation, Poliomyelitis, etc.</td></tr>
<tr><td colspan="5">* Attention should be paid to loss of sensations in fingers and hands, amputation, as well as involvement of eyes and corresponding recommendations be looked at.
** Attention should be paid to impairment of vision, hearing, cognitive function etc. and corresponding recommendations be looked at.
*** Both hands intact, with intact sensations, sufficient strength and range of motion are essential to be considered eligible for medical course.</td></tr>
<tr><td rowspan="2">B. Visual Impairment (*)</td><td>a. Blindness</td><td rowspan="2">Less than 40% disability</td><td rowspan="2">-</td><td rowspan="2">Equal to or More than 40% Disability</td></tr>
<tr><td>b. Low vision</td></tr>
<tr><td rowspan="3">C. Hearing impairment@</td><td>a. Deaf</td><td rowspan="2">Less than 40% Disability</td><td rowspan="2">-</td><td rowspan="2">Equal to or more than 40% Disability</td></tr>
<tr><td>b. Hard of hearing</td></tr>
<tr><td colspan="5">(*) Persons with Visual impairment / visual disability of more than 40% may be made eligible to pursue Postgraduate Medical Education and may be given reservation, subject to the condition that the visual disability is brought to a level of less than the benchmark of 40% with advanced low vision aids such as telescopes / magnifier etc.
@ Persons with hearing disability of more than 40% may be made eligible to pursue Postgraduate Medical Education and may be given reservation, subject to the condition that the hearing disability is brought to a level of less than the benchmark of 40% with</td></tr>
</table>

			the aid of assistive devices. In addition to this, the individual should have a speech discrimination score of more than 60%.			
		D. Speech & language disability$	Organic/ neurological causes	Less than 40% Disability	-	Equal to or more than 40% Disability
		$ Persons with Speech Intelligibility Affected (SIA) shall be eligible to pursue postgraduate courses, provided Speech Intelligibility Affected (SIA) score shall not exceed 3(three), which is 40% or below. Persons with Aphasia shall be eligible to pursue postgraduate courses, provided Aphasia Quotient (AQ) is 40% or below.				

S. No.	Disability Type	Type of Disabilities	Specified Disability	Disability Range		
				Eligible for Medical Course, Not Eligible for PwD Quota	**Eligible for Medical Course, Eligible for PwD Quota**	**Not Eligible for Medical Course**
2.	Intellectual disability		a. Specific learning disabilities (Perceptual disabilities, Dyslexia, Dyscalculia, Dyspraxia & Developmental aphasia)#	# Currently there is no Quantification scale available to assess the severity of SpLD, therefore the cut-off of 40% is arbitrary and more evidence is needed.		
				Less than 40% Disability	Equal to or more than 40% disability and equal to or less than 80%. But selection will be based on the learning competency evaluated with the help of the remediation/assisted technology/aids/infrastructural changes by the Expert Panel	More than 80% or severe nature or significant cognitive/intellectual disability
			b. Autism spectrum disorders	Absence or Mild Disability, Asperger syndrome (disability of upto 60% as per ISAA) where the individual is fit for postgraduate course by an expert panel	Currently not recommended due to lack of objective method to establish presence and extent of mental illness. However, the benefit of reservation/quota may be considered in future after developing better methods of disability assessment.	More than 60% disability or presence of cognitive/intellectual disability and/or if the person is unfit for pursuing postgraduate course by an expert panel
3.	Mental behaviour		Mental illness	Absence or mild Disability: less than 40% (under IDEAS)	Currently not recommended due to lack of objective method to establish presence and extent of mental illness. However, the benefit of reservation/quota may be considered in future after developing better methods of disability assessment.	Equal to or more than 40% disability or if the person is unfit to perform his/her duties. Standards may be drafted for the definition of “fitness to practice medicine”, as are used by several institutions of countries other than India.

S. No.	Disability Type	Type of Disabilities	Specified Disability	Disability Range		
				Eligible for Medical Course, Not Eligible for PwD Quota	Eligible for Medical Course, Eligible for PwD Quota	Not Eligible for Medical Course
4.	Disability caused due to	a. Chronic Neurological Conditions	i. Multiple Sclerosis	Less than 40% Disability	40-80% disability	More than 80%
			ii. Parkinsonism			
		b. Blood Disorders	i. Haemophilia	Less than 40% Disability	40-80% disability	More than 80%
			ii. Thalassemia			
			iii. Sickle cell disease			
5.	Multiple disabilities including deaf blindness		More than one of the above specified disabilities	Must consider all above while deciding in individual cases recommendations with respect to presence any of the above, namely, Visual, Hearing, Speech & Language disability, Intellectual Disability, and Mental Illness as a component of Multiple Disability. Combining Formula as notified by the related Gazette Notification issued by the Govt. of India $a + \left[\frac{b(90-a)}{90} \right]$ (where a= higher value of disability % and b=lower value of disability % as calculated for different disabilities) is recommended for computing the disability arising when more than one disabling condition is present in a given individual. This formula may be used in cases with multiple disabilities, and recommendations regarding admission and/or reservation made as per the specific disabilities present in a given individual		

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA
Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA
Date: 2019.03.15 22:29:13 +05'30'